



‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी’ में देरी

प्रलमिस के लयि:

संसदीय स्थायी समति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी

मेन्स के लयि:

दवाला और दवालियापन संहति, दवाला और दवालियापन संहति (संशोधन वधियक), 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वतित संबंधी [संसदीय स्थायी समति](#) द्वारा [दवाला और दवालियापन संहति \(IBC\), 2016](#) के तहत ‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी’ प्रक्रया में देरी पर ध्यान आकर्षति कया गया है।

- इसके तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLTs) में लगातार हो रही रकितयों के बारे में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) को सूचति कया गया है।
- इससे पहले सरकार ने लोकसभा में [दवाला और दवालियापन संहति \(संशोधन वधियक\), 2021](#) पेश कया, जो [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों \(MSMEs\)](#) के लयि एक वैकल्पिक दवाला समाधान प्रक्रया पेश करता है जसि [प्री-पैकेज्ड दवाला समाधान प्रक्रया \(PIRP\)](#) कहा जाता है।

दवाला और दवालियापन संहति:

- इसे वर्ष 2016 में अधनियमति कया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दवाला समाधान से संबंधति वभिन्न कानूनों को समाहति करती है।
- यह दवालियापन की समस्या के समाधान के लयि सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लयि मौजूदा वधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करती है।

नोट

- इन्सॉल्वेंसी:** यह एक ऐसी स्थति होती है, जसिमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- बैंकरप्सी:** यह एक ऐसी स्थति है जब कसिी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दवालिया घोषति कर दया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लयि उचित आदेश दया गया हो। यह कसिी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

प्रमुख बदि

प्रमुख चतिारें:

- NCLT में रकितयों:**
 - देश भर में NCLT की ब्रांचों में सदस्यों की स्वीकृत संख्या कुल 63 है जनिमें वर्तमान में केवल 29 सदस्य हैं।
- स्वीकृति में देरी:**
 - समति ने कहा कि NCLT द्वारा इन्सॉल्वेंसी/दवाला मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी और समाधान योजनाओं की मंजूरी, IBC के तहत समयसीमा का पालन न करने के प्रमुख कारण थे।
 - NCLT की ओर से मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी में चूक से मालकों को फंड डायवर्ट करने और परसिंपत्तयों को स्थानांतरति करने

का अवसर मिला।

■ **नरिण्यों को चुनौती दी गई:**

- IBC के तहत कई हाई प्रोफाइल मामलों में हतिधारकों द्वारा कई नरिण्यों को चुनौती दी गई। इनमें से कई अपील दवालाया कार्यवाही को धीमा करने के लिये की गई है।

■ **वलिंबति योजनाएँ:**

- जनि मामलों में लेनदारों ने नरिदषिट समयसीमा के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं का मूलयांकन कथि है, वे बोलीदाताओं को नरिधारति समयसीमा के भीतर बोली लगाने में हतोत्साहति करेंगे और ऐसी योजनाएँ देरी और मूल्यहवास को भी बढ़ावा देती हैं।

सफिरशिन:

■ **समय पर कार्रवाई:**

- NCLT द्वारा एक डफिल्ट कंपनी को दवाला कार्यवाही में शामिल करने और 30 दनिों के भीतर इसके नरितरण को एक समाधान पेशवर को सौपने की आवश्यकता है।

■ **मंत्रालय को ज़मिमेदारी लेनी चाहयि:**

- नोडल मंत्रालय के रूप में MCA को एनसीएलटी/नेशनल कंपनी लॉ अपीलट टरबियूनल में परचालन प्रकरयाओं को सुव्यवस्थति करने हेतु अधिक ज़मिमेदारी लेनी चाहयि, जबकि समाधान, वसूली, समय आदके संबंघ में कार्रय की गति, नपिटान और परणामों की लगातार नगिरानी एवं वशि्लेषण कथि जाना चाहयि।

■ **IBC में संशोधन:**

- मौजूदा आरथकि माहौल में एमएसएमई, जो कि IBC के तहत परचालन लेनदार हैं, को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये आईबीसी में संशोधन कथि गया है।
 - वतितीय लेनदार वे हैं जनिका इकाई के साथ संबंघ एक शुद्ध वतितीय अनुबंघ है, जैसे कऱ्रण या ऱ्रण सुरक्षा।
 - परचालन लेनदार वे हैं जनिका दायतिव इकाई संचालन को लेकर लेन-देन से है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण

परचिय

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) का गठन कथि था।
- यह भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नरितरति करने हेतु एक अरद्ध-न्यायकि नकाय के रूप में स्थापति कथि गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लयिा है।
- इसके पास भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नरितरति करने हेतु समग्र शकतयिों मौजूद हैं।
 - NCLT और NCLAT की स्थापना के साथ कंपनी अधनियम, 1956 के तहत गठति 'कंपनी लॉ बोर्ड' भंग कर दयिा गया था।
- यह नागरकि प्रकरया संहति में नरिधारति नयिमों से बाध्य है और प्राकृतकि न्याय के सदिधांतों द्वारा नरिदेशति है, साथ ही यह अधनियम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कसी भी नयिम के अधीन है।
- टरबियूनल और अपीलीय टरबियूनल को अपनी प्रकरया को नरितरति करने की शकति है।

अपील

- टरबियूनल के आदेश के वरिद्ध NCLAT में अपील की जा सकति है। NCLT के आदेश या नरिणय से व्यथति कोई भी अपीलकर्त्ता आदेश या टरबियूनल के नरिणय की प्रतप्राप्त होने की तारीख से 45 दनिों की अवधके भीतर अपील कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण (NCLAT)

परचिय

- NCLAT का गठन कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) के आदेशों के खलिाफ अपील सुनने के लिये कथि गया था।
- यह दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 61 के तहत पारति आदेश तथा दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत 'भारतीय दवाला और दवालियापन बोर्ड' (IBBI) द्वारा पारति आदेशों के खलिाफ भी एक अपीलीय अधकिरण है।

अपील

- NCLAT के कसी भी आदेश के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकति है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delays-in-corporate-insolvency>

